



2026:AHC:48346

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-बी संख्या-679/2026

श्रीमती लीलावती

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: पवन कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

- विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात, याचिकाकर्ता विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक रूप से उपनिदेशक समेकन (प्रतिवादी संख्या 2) को पुनरीक्षण संख्या 143/2026 का शीघ्र निर्णय करने का आदेश देने हेतु परमादेश जारी करने का अनुरोध किया है।
- यह निवेदन किया जाता है कि सहायक समेकन अधिकारी द्वारा दिनांक 26.03.1997 को पारित आदेश के विरुद्ध विपक्षी पक्षकारों द्वारा अपील दायर की गई थी, जिसे कार्यवाही में कमी के कारण दिनांक 22.11.2023 को निरस्त कर दिया गया था। पुनः अपील दायर किये जाने पर, समेकन बंदोबस्त अधिकारी दिनांक 05.09.2025 को पारित आदेश द्वारा इसकी निरंतरता बनाए रखा गया है। इससे व्यथित होकर, निजी प्रतिवादी संख्या 6, 7 और 8 द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश जारी किया जाए।
- उपरोक्त सिंहावलोकन में, इस मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा अतः न्यायालय मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जैसा कि रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, इस रिट याचिका अंतिम निस्तारण करना उपयुक्त समझता है, तथा प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश देता है कि वह उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका का निर्णय विधि के अनुसार तर्कसंगत तथा स्पष्ट आदेश द्वारा, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से 6 माह की अवधि को भीतर करें।
- उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंतिम निस्तारण किया जाता है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

10 मार्च, 2026

वी आर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”